

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)31/2014-283(भिन्न) /भू.सं. पटना, दिनांक 31-03-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से.)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शास्त्र), भूमि संरक्षण,
मुख्यालय, बिहार, पटना।

विषय : केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP- 2011-12 (Batch-III) IWMP- 2012-13 (Batch-IV), IWMP- 2013-14 (Batch-V) एवं IWMP- 2014-15 (Batch-VI) के संस्थागत उन्नयन मद में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल 7.765 करोड़ रु० शत प्रतिशत केन्द्रांश की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि 1.3261 करोड़ (एक करोड़ बत्तीस लाख एकसठ हजार) रु० मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत 1.3261 करोड़ (एक करोड़ बत्तीस लाख एकसठ हजार) रुपये (शत प्रतिशत केन्द्रांश) को आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश सं० 1691 दिनांक 30.03.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए।

3. आवंटित राशि 1.3261 करोड़ (एक करोड़ बत्तीस लाख एकसठ हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402001020213, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि 70.00 करोड़ रुपये से की जायेगी।

4. राशि की निकासी भूमि संरक्षण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बी०टी०सी०-४२ पर बिहार वाटर शेड डवलपमेंट सोसाईटी (BWDS) से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार की जायेगी। आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 6720 वि.(2) दिनांक 25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

6. आवंटन से अधिक राशि की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके निमित सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

7. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(15) 31/3/15
(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 283 (आवंटन)

भूमि संरक्षण पटना दिनांक 31-03-2015

- प्रति :- 1. महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(15) 31/3/15
संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 283 (आवंटन)

भूमि संरक्षण पटना दिनांक 31-03-2015

प्रति :- 1. डा० सी०पी०रेड्डी, उपायुक्त (ज०वि०) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि बिहार के आप्त सचिव/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य कार्यालयक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), बिहार, पटना/उप निदेशक (शब्द) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभि.) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शब्द) भूमि संरक्षण/प्रभारी वित्त -सह- लेखा BWDS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓ 3. उप कृषि निदेशक (शब्द) सूचना, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15) 31/3/15
संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

